

प्रेस नोट दिनांक 24.08.2026

जनपद-चन्दौली

☐ पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आकाश पटेल के नेतृत्व में चलाया जा रहा "ऑपरेशन दहन" अभियान।

☐ जनपद के 04 थानों द्वारा कुल 15 अभियोगों से सम्बंधित कुल 990.730 किग्रा अवैध गांजा का कराया गया विनष्टीकरण।

☐ विनष्टीकरण किये गये गांजा का अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये।

चंदौली:- ऑपरेशन दहन के अन्तर्गत थाना मुगलसराय इंडस्ट्रियल एरिया अंतर्गत (1) श्री गणेश प्लाईवुड उद्योग प्रा0 लि0 कम्पनी में कुल 04 थानों द्वारा कुल 15 अभियोगों से सम्बंधित अवैध 990.730 किग्रा गांजा का मानक के अनुसार कराया गया विनष्टीकरण।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे 'ऑपरेशन दहन' मा0 न्यायलय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में श्री नवीन अरोरा अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में श्री आकाश पटेल पुलिस अधीक्षक चन्दौली के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में जिला स्तरी कमेंटी का गठन कर 04 थानों द्वारा कुल 15 अभियोगों से सम्बंधित अवैध गांजा 990.730 किग्रा का थाना मुगलसराय इंडस्ट्रियल एरिया अंतर्गत श्री गणेश प्लाईवुड उद्योग प्रा0 लि0 कम्पनी में विनष्टीकरण कराया गया।

जिला स्तरी कमेंटी में नामित सदस्य- अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सतीश चंद्र शुक्ला क्षेत्राधिकारी सकलडीहा कृष्ण मुरारी शर्मा , प्रभारी निरीक्षक डीसीआरबी राम कुमार यादव, जनपद चन्दौली व सम्बन्धित अभियोगों के विवेचकगण एवं संबंधित थाना के हेड मोहर्नर की उपस्थिति में आज दिनांक 24.08.2026 को वीडियोग्राफी कराकर जनपद के 04 थानों से संबंधित कुल 15 अभियोगों के मालों को चेक कराकर सुरक्षित स्थान - इंडस्ट्रियल एरिया मुगलसराय अंतर्गत श्री गणेश प्लाईवुड उद्योग में मानक एवं प्रक्रिया के अनुरूप 15 अभियोगों से सम्बन्धित कुल 990.730 किग्रा अवैध गांजा का विनष्टीकरण की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करायी गयी जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये हैं।